न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः (GCMS No. 2025/232)

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– अंचू पत्नी स्व. मांगीलाल जाति सुथार, निवासी प्लॉट नं. 32, शांति विहार, गांधीनगर, के पास, पूंजला, जोधपुर।		1–प्रकाश सुथार पुत्र स्व. मांगीलाल, 2–अनु देवी पत्नी प्रकाश सुथार, जाति सुथार, निवासी प्लॉट नं. 32, शांति विहार, गांधीनगर के पास, पूंजला, जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 16(1), माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.11.2024 जो न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2024 अनवान श्रीमती अंचु देवी बनाम प्रकाश सुथार वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

दिनांकः 27.01.2026

1. अपीलार्थी – अनुपस्थित
2. प्रत्यर्थीगण 1 से 2–अनुपस्थित

आदेश

अपील प्रार्थी/अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 4,5 सपठित धारा 23 माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के नियम 2010 का अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जिसमें प्रार्थीया ने अपनी स्व अर्जित आय से एक संपत्ति जो वाके प्लॉट संख्या 32 शांति बिहार गांधी नगर के पास पुंजला जोधपुर में खरीद की थी उक्त संपत्ति को खरीद करने के बाद प्रार्थिया एवं उसके पति एवं संतान इसी संपत्ति में शांतिपूर्ण तरीके से रहवास करते थे। प्रार्थिया की चार संतान है जिसमें से अप्राथी संख्या एक प्रकाश सुथार, मोहन सुथार एवं दो पुत्रिया लीला सुधार, निर्मला सुधार है। प्रार्थिया ने दोनों पुत्रियो का विवाह कर दिया है एवं दोनों पुत्रो का विवाह भी सम्पन्न करवाया। प्रार्थिया के पति मांगीलाल जी का देहांत दिनांक 28.05.2014 हो गया था। प्रार्थिया के पत्ति के देहांत होने के बाद प्रार्थिया के भरण पोषण, दवा सेवा चाकरी समस्त दायित्व प्रार्थिया के पुत्रों पर था। अप्रार्थी संख्या 01 व उसकी पुत्रवधू प्रार्थिया के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं तथा अप्रार्थी संख्या 01 शराब का सेवन करके प्रार्थिया को गंदी–गंदी गालियां निकालता है। अप्रार्थीगण प्रार्थिया की खरीद सुदा संपत्ति से कई मर्तबा बेदखल करने का प्रयास कर चुके हैं तथा अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थिया की खरीद सुदा संपत्ति में जबरदस्ती कब्जा कर एक कमरे में अपने दो संतानों सहित रह रहे हैं। जिसके कारण प्रार्थिया को हर समय अपनी जान माल की हानि होने की प्रबल संभावना रहती है। प्रार्थिया के भरण

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

पोषण, दवा, सेवा चाकरी का समस्त दायित्व प्रार्थिया के पुत्रों पर है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी वृद्ध माता के भरण पोषण, सेवा चाकरी इत्यादि कर्तव्यों से विमुख हो चुका है और अधार्थी संख्या 01 ने उक्त मकान में से प्रार्थिया को बेदखल करना चाहता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थिया की इच्छा के विरूद्ध संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। प्रार्थिया के विरोध करने पर अप्रार्थीगण ने कई मर्तबा प्रार्थिया को गंदी–गंदी गालियां निकाली तथा उक्त संपत्ति से जबरदस्ती बेदखल करने का प्रयास कर चुके हैं प्रार्थिया ने अपने पुत्र को कई मर्तबा समक्षाने का भी प्रयास किया परंतु अप्रार्थीगण अपने दायित्व के प्रति निष्ठावान नहीं होकर प्रार्थिया को अपनी ही संपत्ति से वेदखल करना चाहते हैं। प्रार्थिया वृद्ध महिला है तथा वृद्ध अवस्था में बीमारी से भी पीड़ित है। अपने खर्च हेतु प्रार्थिया को नियमित मासिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। जिस हेतु प्रार्थिया को स्वयं के भरण पोषण इलाज के लिए अप्रार्थी संख्या 01 से निवेदन किया परंतु अप्रार्थी संख्या 01 ने इंकार कर चुका हैं तथा अप्रार्थी संख्या 01 (एक) अपने पुत्र के कर्तव्य से विमुख हो चुका है, प्रार्थिया की भरण पोषण का दायित्व ओर अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पुत्र मोहनलाल पर है जिसमें से एक पुत्र मोहनलाल प्रार्थिया को समय–समय पर भरण पोषण एवं सेवा चाकरी करता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थिया को भरण पोषण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है और प्रार्थिया की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थिया को भरण पोषण पेटे कोई राशि अदा नहीं कर रहा है एवं प्रार्थिया को भरण पोषण से वंचित कर रखा है और जबरदस्ती प्रार्थिया की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। अप्राथी संख्या 01 प्रार्थिया के साथ निरंतर रूप से भरण पोषण से वंचित करने तथा प्रार्थिया के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलोच करना तथा प्रार्थिया को अपनी संपत्ति से वेदखल करने का प्रयास करने के परिणाम स्वरूप प्रार्थिया अब अप्रार्थी गण को अपनी संपत्ति से वेदखल करना चाहती है एवं अप्रार्थी संख्या 01 से अपने भरण पोषण की मांग करती है। अप्राथीगण के द्वारा प्रार्थिया की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने, उसके साथ गाली गलोच करने एवं भरण पोषण की राशि अदा नहीं करने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य विकल्प प्रार्थिया के पास मौजूद नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत किया गया । अप्राथीगण की ओर से अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रार्थीया की ओर से जवाबबुल जवाब प्रस्तुत किया गया अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपेक्षित आदेश पारित किया जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गए अनुतोष को आंशिक स्वीकार करते हुए केवल भरण पोषण के रूप में केवल ₹3000 की राशि मासिक प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं जबकि प्रार्थिया को स्वयं की संपत्ति में रहने के दौरान अप्राथीगण द्वारा संपत्ति को दबाव डालकर खाली करवाने, गली गलोच करने और जान माल की हानि पहुंचाने की संभावना को देखते हुए संपत्ति से अप्राथीगण को प्रार्थियों की संपत्ति से बेदखल नहीं किए जाने के आदेश एवं भरण पोषण के रूप में केवल ₹3000 की राशि मासिक प्रदान किए जाने के आदेश से व्यथित होकर प्रार्थिया द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है। 01. यह की प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध सही तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का सही प्रकार से विवेचन नहीं कर भारी कानूनी भूल कर आदेश पारित किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। 02. यह

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

है कि प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ अधिकरण ने आंशिक रूप से स्वीकार फरमाया गया है, जबकि प्रार्थिया की स्व–अर्जित आय से खरीद सुदा संपत्ति पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं जिसके कारण प्रार्थिया को हर समय जान माल की हानि होने की प्रबल संभावना रहती है प्रार्थिया को कई मर्तबा अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया के खरीद सुदा मकान से बेदखल करने का भी प्रयास किया जा चुका है प्रार्थिया अपने स्वयं के मकान में शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने में अप्रार्थीगण हमेशा रुकावट पैदा कर रहे हैं तथा प्रार्थिया के साथ हर समय गली गलोच किया करते हैं जिससे परेशान होकर प्रार्थिया ने मजबूर होकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परंतु अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करते हुए केवल भरण पोषण के रूप में ₹3000 प्रतिमाह की राशि अप्रार्थीगण द्वारा अदा किए जाने के आदेश प्रदान किया जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि प्रार्थिया की स्व अर्जित आय की संपत्ति पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, और लगातार जान माल की हानि पहुंचाने की भी धमकियां दे रहे हैं अधीनस्थ अधिकरण को प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में उठाए गए तथ्यों को नजर अंदाज कर केवल भरण पोषण की राशि अदा किए जाने के आदेश दिए हैं, जबकि अधीनस्थ अधिकरण को अप्रार्थीगण को प्रार्थिया की संपत्ति से तत्काल प्रभाव से कब्जा मुफ्त कर प्रार्थिया को सुपुर्द किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने थे, परंतु अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर भारी आदेश में त्रुटि की है। 03. यह है कि अधीनस्थ अधिकरण ने अपने आदेश की पेज संख्या 05 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि पत्रावली के अध्ययन से यह दर्शित होता है कि दोनों पक्षों के मध्य उक्त विवाद संपत्ति को लेकर के हैं अतःसंपत्ति को लेकर विवाद के संबंध में निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा अपने आदेश में उक्त तथ्यों को उठाए जाने के बाद भी संपत्ति के संदर्भ में कोई आदेश प्रदान नहीं करना धारा 23 की मंशा के विपरीत आदेश दिया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वयं के आदेश में दोनों पक्षों के मध्य संपत्ति विवाद के तथ्यों को दर्शाया है परंतु आदेश में केवल संपत्ति विवाद पर कोई आदेश नहीं देकर भारी कानूनी भूल की है। 04. यह है की प्रार्थिया ने अप्राथीगण द्वारा लगातार प्रार्थिया की संपत्ति पर कब्जा कर निवास किए जाने के बाद प्रार्थिया के साथ गंदी–गंदी गाली–गलोच करना, जान से मारने की धमकियां देना एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन नहीं किए जाने के फलस्वरुप प्रार्थिया की ओर से अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, प्रार्थिया को उक्त प्रार्थना पत्र को वापस लिए जाने के लिए अप्राथीगण की ओर से दबाव डाला गया जिसके कारण प्रार्थिया को अपनी जान माल की हानि होने की संभावना को देखते हुए प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 का प्रार्थना पत्र श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक महानगर मजिस्ट्रेट जोधपुर कमिश्नर जोधपुर में प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र के पेश किए जाने के बाद भी अप्राथीगण लगातार रूप से प्रार्थिया के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की कार्रवाई करते चले आ रहे हैं और प्रार्थिया की संपत्ति पर यदि अप्रार्थीगण ने कब्जा नहीं छोड़ा तो प्रार्थिया को अपनी जान माल की हानि होने की प्रबल संभावना रहेगी प्रार्थिया ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा परंतु अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को केवल आंशिक रूप से स्वीकार कर एवं प्रार्थिया के स्व– अर्जित

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

संपत्ति से अप्रार्थीगण को कब्जा से हटाकर प्रार्थिया को संपत्ति सुपुर्द किए जाने के आदेश नहीं देखकर भारी कानूनी भूल की है। 05. यह है कि अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करते हुए केवल ₹3,000 मासिक भरण पोषण की राशि अप्रार्थीगण द्वारा अदा किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं जबकि वर्तमान में महंगाई के दौर में प्रार्थिया के स्वयं के भरण पोषण, दवाई इत्यादि के लिए उक्त राशि पर्याप्त नहीं है प्रार्थिया को प्रतिमाह ₹10,000 दस हजार रुपए भरण पोषण की राशि की आवश्यकता होती है, परंतु अधीनस्थ अधिकरण ने केवल ₹3,000 प्रतिमाह भरण पोषण की राशि का आदेश प्रदान कर भारी त्रुटि की है जो काबिले गौर निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीया ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 जो आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है उसे निरस्त फरमाया जाकर बहक प्रार्थिया विरुद्ध अप्राथीगण के पक्ष में निम्न आदेश पारित फरमाए जावें । (क) प्रार्थीया के पक्ष में इस आशय का आदेश प्रदान किया जावें कि प्रार्थीया के भरण–पोषण हेतु 10000 असरे दस हजार रुपये प्रतिमाह पृथक–पृथक दिलाए जाये। (ख) प्रार्थीया के पक्ष में वैकल्पिक रूप से अपीलीय अधिकरण इस आशय की आज्ञा प्रदान करावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया की सम्पत्ति पर जो कब्जा कर रखा है, उसे तुरन्त प्रभाव से खाली कर प्रार्थीया को उक्त सम्पत्ति सुपुर्द करें तथा उक्त सम्पत्ति से अप्रार्थीगण अपना कब्जा छोडकर अन्यत्र चले जायें। (ग) उक्त प्रकरण की परिस्थितियों में प्रार्थीया के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीया के भरण–पोषण व कल्याण के निमित्त जो भी आदेश व प्रक्रिया श्रीमान सर्वाधिकार उपर्युक्त समझे पारित करावें।

अपील दर्ज (जीसीएमएस नं 2025/232) कर प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को नोटिस प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है।

अप्रार्थीगण को अनेक अवसर दिनांक 29.01.2025, 04.03.2025, 15.04.2025, 17.06.2025, 08.07.2025, 19.08.2025, 16.09.2025, 14.10.2025, 11.11.2025 व 16.12.2025 को जवाब/बहस हेतु प्रदान किये गये परंतु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब/बहस प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 19.08.2025 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसको सामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थिया ने अपनी लिखित बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए। अग्रलिखित कथन किये गये। 01. अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक अपील अंतर्गत धारा 16 (1) माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पेश कर रखी है। 02. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ अधिकरण ने आंशिक रूप से स्वीकार फरमाया गया है, जबकि प्रार्थिया की स्व–अर्जित आय से खरीद सुदा संपत्ति पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं जिसके कारण प्रार्थिया को हर समय जान माल की हानि होने की प्रबल संभावना रहती है प्रार्थिया को कई मर्तवा अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया के खरीद मकान से वेदखल करने का भी प्रयास किया जा चुका है प्रार्थिया अपने स्वयं के मकान

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

में शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने में अप्रार्थीगण हमेशा रुकावट पैदा कर रहे हैं तथा प्रार्थिया के साथ हर समय गली गलोच किया करते हैं जिससे परेशान होकर प्रार्थिया ने मजबूर होकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परंतु अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करते हुए केवल भरण पोषण के रूप में ₹3000 प्रतिमाह की राशि अप्रार्थीगण द्वारा अदा किए जाने के आदेश प्रदान किया जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि प्रार्थिया की स्व अर्जित आय की संपत्ति पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, और लगातार जान माल की हानि पहुंचाने की भी धमकियां दे रहे हैं अधीनस्थ अधिकरण को प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में उठाए गए तथ्यों को नजर अंदाज कर केवल भरण पोषण की राशि अदा किए जाने के आदेश दिए हैं, जबकि अधीनस्थ अधिकरण को अप्रार्थीगण को प्रार्थिया की संपत्ति से तत्काल प्रभाव से कब्जा मुक्त कर प्रार्थिया को सुपुर्द किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने थे, परंतु अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर भारी आदेश में त्रुटि की है। 03. अधीनस्थ अधिकरण ने अपने आदेश की पेज संख्या 05 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि पत्रावली के अध्ययन से यह दर्शित होता है कि दोनों पक्षों के मध्य उक्त विवाद संपत्ति को लेकर के हैं अतःसंपत्ति को लेकर विवाद के संबंध में निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा अपने आदेश में उक्त तथ्यों को उठाए जाने के बाद भी संपत्ति के संदर्भ में कोई आदेश प्रदान नहीं करना धारा 23 की मंशा के विपरीत आदेश दिया गया है जबकि अधीनस्व न्यायालय ने अपने स्वयं के आदेश में दोनों पक्षों के मध्य संपत्ति विवाद के तथ्यों को दर्शाया है परंतु आदेश में केवल संपत्ति विवाद पर कोई आदेश नहीं देकर भारी कानूनी भूल की है। 04. अप्राथीगण द्वारा लगातार प्रार्थिया की संपत्ति पर कब्जा कर निवास किए जाने के बाद प्रार्थिया के साथ गंदी–गंदी गाली–गलोच करना, जान से मारने की धमकियां देना एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन नहीं किए जाने के फलस्वरुप प्रार्थिया की ओर से अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, प्रार्थिया को उक्त प्रार्थना पत्र को वापस लिए जाने के लिए अप्राथीगण की ओर से दबाव डाला गया जिसके कारण प्रार्थिया को अपनी जान माल की हानि होने की संभावना को देखते हुए प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 126 ,135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 का प्रार्थना पत्र श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक महानगर मजिस्ट्रेट जोधपुर कमिश्नर जोधपुर में प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र के पेश किए जाने के बाद भी अप्राथीगण लगातार रूप से प्रार्थिया के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की कार्रवाई करते चले आ रहे हैं और प्रार्थिया की संपत्ति पर यदि अप्रार्थीगण ने कब्जा नहीं छोड़ा तो प्रार्थिया को अपनी जान माल की हानि होने की प्रबल संभावना रहेगी प्रार्थिया ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा परंतु अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को केवल आंशिक रूप से स्वीकार कर एवं प्रार्थिया के स्व– अर्जित संपत्ति से अप्रार्थीगण को कब्जा से हटाकर प्रार्थिया को संपत्ति सुपुर्द किए जाने के आदेश नहीं देखकर भारी कानूनी भूल की है। 05. अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करते हुए केवल ₹3,000 मासिक भरण पोषण की राशि अप्रार्थीगण द्वारा अदा किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं जबकि वर्तमान में महंगाई के दौर में प्रार्थिया के स्वयं के भरण पोषण, दवाई इत्यादि के लिए उक्त राशि पर्याप्त नहीं है प्रार्थिया को प्रतिमाह ₹10,000 दस हजार रुपए भरण

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

पोषण की राशि की आवश्यकता होती है, परंतु अधीनस्थ अधिकरण ने केवल ₹3,000 प्रतिमाह भरण पोषण की राशि का आदेश प्रदान कर भारी त्रुटि की है जो काबिले गौर निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अप्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील व जवाब के तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थीगण की ओर से पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब/बहस प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थिया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित भरण पोषण की राशि 3000/–रूपये प्रतिमाह से बढाकर 4000/–रूपये प्रतिमाह की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि उक्त भरण पोषण राशि प्रतिमाह की 07 तारीख से पूर्व संबंधित को देकर रसीद न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर (उत्तर) में प्रस्तुत करेंगे तथा अप्रार्थीगण अपीलार्थिया को किसी भी प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान नहीं करेंगे व अपीलार्थिया के बीमार होने की स्थिति में ईलाज एवं दवाई की उचित व्यवस्था करेंगे। अतः उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 27.01.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)